फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

कल्याण वगै0 बनाम सरकार वगै0

ा पत्र संख्या : 135/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, जवाब पैरोकार सरकार एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की वहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम सामोर, पटवार हल्का डांगरवाडा, तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि साविका खसरा नम्ब 117 गैर मुमकिन रास्ता जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 151 रकबा 1.77है0 किस्म गै0मु0रास्ता सडक जो कि ग्राम सरपुरा से ग्राम सामोर होते हुए ग्राम डांगरवाडा की ओर जाने वाला मुख्य रास्ता है। साबिका खसरा नम्बर 117 गैर मुमकिन रास्ता के पूर्वी ओर सडक से लगता हुआ एक आम रास्ता साबिका खसरा नम्बर 181 एवं 182 व 180 एवं 185 की सीमा अर्थात खसरा नम्बर 180 एवं 181 की दक्षिणी तथा 182 व 185 की उत्तरी सीमा से होकर लगभग 20 फिट चौडा रास्ता सदियो से कायम एवं मौके पर मौजूद है जो तहसील जमवारामगढ में लगभग 70 वर्ष पूर्व किये गये एकीकरण संवत 2008 से 2027 के दौरान बनाये गये नक्शें मे अंकित है। वर्तमान जमाबन्दी में अंकित खसरा नम्बर 151 रकबा 1.77है0 गै0मु0रास्ता के पूर्वी ओर स्थित वर्तमान खसरा नम्बर 236, 237, 235 एवं 242 की उत्तरी दक्षिण सीमा से होकर विगत 100 वर्षो से कायम उक्त रास्ते को वर्तमान राजस्व नक्शें में बदनियतिपूर्वक विलोपित कर दिया गया है, जबकि खसरा नम्बर 151 गै0मु0 रास्ता को साबिका एवं वर्तमान नक्शें में पूर्वानुसार यथावत अंकित किया गया है। वर्तमान राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 236, 237 एवं 235 एवं 242 की उत्तरी दक्षिणी सीमा पर मौजूद रास्ते के चिन्हों को अप्रार्थीगण ने या ता आपस मे षडयंत्र कर विलोपित करवा दिया है अथवा उक्त विलोपन माननीय भूल या लेखनी की त्रुटि से हुआ है, जो कि दुरूस्त किए जाने योग्य है। अंतः ग्राम सामोर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 236 व 237 एवं 235 व 242 की उत्तरी दक्षिणी सीमा पर वर्तमान राजस्व नक्शें में साबिका राजस्व नक्शेनुसार पुनः आम रास्ता के चिन्ह अंकित किए जाने के आदेश फरमावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम सामोर में वर्तमान नक्शे में खसरा नम्बर 236, 237, 235, 242 की उत्तरी दक्षिणी सीमा पर वर्तमान रिकार्ड एवं नक्शें में कोई रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थी को रास्ते हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।	

पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला–जयपुर